फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नकाबाई **विपक्षी : श्री रोशनलाल**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 101/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.06.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प नऊवा में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई, शामिल फाईल रहे। राजपेरोकार मावली द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन अखबार में साया करा प्रति पेश की जो शामिल फाईल है, रेकार्ड पर लिया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 अब तक अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादीगण के पिता/पति के नाम पर दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 वर्तमान में लापता हैं वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के वारिस होने से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश कर प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल को विगत 20–25 वर्षों से लापता होने की पुष्टि की हैं तथा वादीगणों को प्रतिवादी सं. 1 का वारिस होना बताया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 17/13 वाद नकाबाई बनाम रोशनलाल के निर्णय दिनांक 29.02.2016 की सत्यप्रतिलिपि पेश की। उक्त निर्णय अनुसार वादीगणों को प्रतिवादी सं. 1 का वारिस मानते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। अतः उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेज के आधार पर वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के वारिस होना जाहिर होते हैं। अतः वादीगण भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा रायजी का गुडा पटवार हल्का नउवा की आराजी नम्बर 266, 484, 485, 489, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 किता 14 रकबा 3.8606 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 492, 506 किता 2 रकबा 3.9255 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 552/506 रकबा 1.5540 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1052 हेक्टेयर भूमि में खातेदार रोशनलाल पिता दुर्गाशंकर के बजाय वादीगण को 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified (श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर मावली Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.06.20 14:30:18 IST Reason: SelfAttested	

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 101/21 (वाद) GCMS No. : 2021/199

उनवान

1. श्रीमती नकाबाई पत्नी रोशनलाल ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
2. श्रीमती भगवती पुत्री रोशनलाल पत्नी ओमप्रकाश मेनारिया निवासी अनोपपुरा हाल चिरवा तह. गिर्वा।
3. श्रीमती सपना पुत्री रोशनलाल पत्नी मुरली ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का नउवा तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा रायजी का गुडा पटवार हल्का नउवा की आराजी नम्बर 266, 484, 485, 489, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 किता 14 रकबा 3.8606 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 492, 506 किता 2 रकबा 3.9255 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 552/506 रकबा 1.5540 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1052 हेक्टेयर भूमि में खातेदार रोशनलाल पिता दुर्गाशंकर के बजाय वादीगण को 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.06.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:11:18 IST
Reason: SelfAttested